न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः **Jodhpur/223RTA/2018/084**

नटवरलाल पुत्र इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास
जाति पुष्करणा ब्राह्मण,
निवासीगण मधुबजी की बेरी के पास फलोदी,
जिला जोधपुर

----- अपीलार्थी

ब

ना

म

1. दिलीप कुमार पुत्र इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास, जाति व्यास ब्राह्मण, निवासी मधुबजी की बेरी के पास, फलोदी, जिला जोधपुर
2. मीना पुत्री इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास, पत्नी हरिगोपाल थानवी जाति ब्राह्मण, निवासी मोहन छंगानी नगर, फलोदी जोधपुर
3. प्रेमलता पुत्री इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास, पत्नी हरिशंकर उर्फ नदूजी जाति ब्राह्मण, निवासी फलोदी, जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. बैंक (वर्तमान एस.बी.आई.) शाखा फलोदी
5. तहसीलदार फलोदी

-----प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी (जोधपुर) दिनांक कमशः 30 जून 2018 एवं 02 जुलाई 2018 राजस्व वाद संख्या 338/2018 दिलीपकुमार व अन्य बनाम इन्द्रनाथ इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-
अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मंजूल श्रीमाली
प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रत्यथी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री ललित व्यास
प्रत्यर्थी संख्या पांच की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 11 अक्तूबर 2019

अपीलार्थी ने विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 338/2018 दिलीपकुमार व अन्य बनाम इन्द्रनाथ इत्यादि में पारित निर्णय व डिकी कमशः 30 जून 2018 एवं 02 जुलाई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम मलार तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 143 रकबा 54 बीघा 07 बीघा एवं खसरा संख्या 638 रकवा 27 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 81 बीघा 12 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर उक्त आराजियात के मूल खातेदार मोहनलालजी का सजरा खानदान वादपत्र में अंकित कर जाहिर किया कि मोहनलाल के एकमात्र पुत्र इन्द्रनाथ उर्फ रखजी के दो पुत्र एवं दो पुत्रिया नटवरलाल, दिलीप, मीना व प्रेमलता (वर्तमान अपील में कमशः अपीलाण्ट तथा रेस्पो. संख्या एक से तीन) हुए। मोहनलालजी के देहान्त के बाद उक्त आराजियात इन्द्रनाथ उर्फ रखजी के नाम विरासत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई, मगर पुश्तैनी सम्पत्ति होने के कारण उक्त आराजियात में अन्य पक्षकारान को भी जन्म से ही उक्त आराजियात में स्वत्व एवं अधिकार अर्जित हो चुके है। पुश्तैनी खातेदारी की सहदायकी भूमि होने के आधार पर प्रत्येक पक्षकार का वादग्रस्त आराजियात में 1/5 - 1/5 हिस्सा बनता है, मौके पर इसी अनुसार वादी का कब्जा भी है और ढाणी तथा पानी के टांके, मवेशियों के बाडे आदि भी निर्मित है। मगर विधिवत औपचारित विभाजन के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अभाव में पक्षकारान के मध्य यदा-कदा विवाद होते रहते है, अतः आलौच्य वाद औपचारिक तौर पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस वादग्रस्त भूमि का बंटवारा और स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त किये जाने हेतु आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 12 जून 2018 को दर्ज किया गया, आइन्दा पेशी 14 जून 2018 निर्धारित की गयी, 14 जून 2018 को प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के आदेश जारी किये गये और मिसल वास्ते तलबी/जबाब 30 जून 2018 पेशी में रखी गयी। दिनांक 30 जून 2018 की आदेशिका के अनुसार मिसल राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट न्यायालय में पेश होना अंकित करते हुए वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर धारा 53 में वाद वापिस लेने व राजस्व लोक अदालत में घोषणा करने का निवेदन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया और उक्त निर्णय दिनांक 30 जून 2018 के अनुसरण में डिकी दिनांक 02 जुलाई 2018 जारी कर दी गयी। उक्त निर्णय व डिकी दिनांक कमशः 30 जून 2018 एवं 02 जुलाई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज की गयी और निर्धारित विधिक प्रकिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी।

अपीलाण्ट की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तथ्यों और अपीलमीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वस्तुतः मोहनलाल पुत्र मदनगोपाल वादग्रस्त आराजियात के तनहा खातेदार काश्तकार रहे, जिन्होने अपने जीवलकाल में उक्त समस्त आराजियात की वसीयत प्रतिवादी संख्या एक इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास के पक्ष में कर दी थी, दिनांक 16 दिसम्बर 1986 को मोहनलाल पुत्र मदनगोपालजी के देहान्त के बाद उक्त वसीयत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रभाव में आ गयी और इस वसीयत की रुह से इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास का नाम वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हुआ। ऐसी स्थिति में हिन्दू दादा की सम्पत्ति में न तो पौत्र को जन्म से ही कोई अधिकार अर्जित होते है और न ही अपने पिता के जीवनकाल में कोई हिन्दू व्यक्ति अपने दादा की सम्पत्ति में हक-हिस्से बाबत दावा ला सकता है। अपने इन तर्कों के समर्थन में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान एआईआर 1964 गुजरात 283[1] और 2016 एआईआर (एससी)1169[2] की नजीरें प्रस्तुत की। साथ ही एआईआर 2016 एससी 769[3] उद्धरित कर विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि हिन्दू अधिनियम की धारा 6 में सन् 2005 में हुए संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने बहस में 1964 एआईआर (गुजरात) 283[4] के आधार पर यह भी कथन किया कि विभाजन की डिक्री जारी किये जाने के समय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात का नजरी नक्शा होना नितान्त आवश्यक है। अपनी बहस आगे बढाते हुए विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये बिना, प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनकी गैर-मौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30 जून 2018 पारित कर दिया गया जो निर्धारित विधिक प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। इस संबंध में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने 2017(4)सीसीसी472 (पंजाब व हरियाणा)[5] की नजीर पेश की। बहस जारी रखते हुए विद्वान

---

[1] Appeal No. 215 of 1961 Jaswantlal Linabhai Vs Nichhabhai Vallabhbhai & Ors, decided on 17th Apr., 1963
[2] Civil Appeal No. 2360 of 2016 Uttam Vs Saubhag Singh & Ors, Decided on 2nd Mar., 2016
[3] Civil Appeal No. 7217 of 2013 Prakash & ors Vs Phulavati & ors, (and oths similar LSPs) decided on 16th Oct., 2015.
[4] Civil Appeal No. 3120 of 2009 Subhash Chandra Sen Vs Nabin Sain Decided on 19th April, 2018
[5] CR No. 316 of 2015 Krishna Vs Chattar Singh, Decided on 31st May, 2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आगे कहा कि वादग्रस्त आराजियात के पूर्व तनहा खातेदार स्व. मोहनलाल पुत्र मदनलाल से जरिये वसीयत यह आराजियात इन्द्रनाथ उर्फ रखजी की खातेदारी में दिनांक 16 दिसम्बर 1986 को अन्तरित हुई है, अर्थात उक्त दिनांक के बाद यह आराजियात पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि नहीं रही है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन ने इन तथ्यों का अपने वाद में जिक ही नहीं किया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी तथ्यों को छुपा कर प्राप्त किये गये निर्णय एवं डिकी की श्रेणी में आते है और इसी आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2012 एससी 2858[6] की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से तीन के पिता इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास का निधन हो चुका है, वादग्रस्त आराजियात मूल खातेदार मोहनलाल पुत्र मदनलाल से जरिये वसीयत पूर्व में ही इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास पुत्र मोहनलाल में निहित हो चुके है और अपने जीवनकाल में ही इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत की जा चुकी थी, जो अब दिनांक 05 जनवरी 2019 को इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास के निधन के बाद प्रभाव में आ जाने से वादग्रस्त आराजियात बाबत तमाम हक-हकूक अपीलाण्ट में निहित हो चुके है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपास्त किये जावे।

जबाब में प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिकी न्यायोचित पारित किये गये है, वादग्रस्त

[6] Civil Appeal No. 1723 of 2008 Smt Badami (Deceased) by her L.Rs. Vs Bhali, Decided on 22nd May, 2012

आराजियात पुश्तैनी भूमि है, जिसमें उत्तराधिकार के आधार पर अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से तीन का समान हक एवं अधिकार बनता है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मांगे गये अनुतोष बाबत वादीगण-रेस्पो. की ओर से अनिच्छा जाहिर कर मात्र घोषणा खातेदारी बाबत ही अनुतोष की मांग की गयी। ऐसी स्थिति में इस संबंध में अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें मामले में लागू नहीं होती है। वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार द्वारा कभी कोई वसीयत इन्द्रनाथ उर्फ रखजी व्यास के पक्ष में नहीं की गयी। अंत में विद्वान अधिवकता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील सारविहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या चार एवं पांच के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 12 जून 2018 को दर्ज किया गया, आइन्दा पेशी 14 जून 2018 निर्धारित की गयी, 14 जून 2018 को प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के आदेश जारी किये गये और मिसल वास्ते तलबी/जबाब 30 जून 2018 पेशी में रखी गयी। दिनांक 30 जून 2018 की आदेशिका के अनुसार मिसल राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट न्यायालय में पेश होना अंकित करते हुए वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर धारा 53 में वाद वापिस लेने व राजस्व लोक अदालत में मात्र खातेदारी की घोषणा करने का निवेदन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया और उक्त निर्णय दिनांक 30 जून 2018 के अनुसरण में डिकी दिनांक 02 जुलाई 2018 जारी कर दी गयी। इससे साफ जाहिर है कि **अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना करने बाबत बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया, जिससे इस मामले में नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का हनन हुआ है।** इस संबंध में अदालत हाजा 2017(4)सीसीसी472 (पंजाब व हरियाणा)[7] पर आधार अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट-प्रतिवादीपक्ष को, जिसके द्वारा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजियात इन्द्रनार्थ उर्फ रखजी व्यास की स्व-अर्जित भूमि होना जाहिर किया जा रहा है, अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जबाबदावे तथा साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था।

अतः अपील अपीलाण्ट इसी आधार पर आंशिक तौर से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक कमशः 30 जून 2018 एवं 02 जुलाई 2018 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट-प्रतिवादी को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे, जबाब प्रस्तुत होने पर विधिवत तनकियात कायम की जाकर नियमानुसार पक्षकारान से साक्ष्य ली जावे और तत्पश्चात तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए गुणावगुण के आधार पर न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11 अक्तूबर 2019 को सुनाया गया।

11/10/19

(नखतदान बाहरठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

[7] CR No. 316 of 2015 Krishna Vs Chattar Singh, Decided on 31st May, 2017